न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 534 / 2018
दायर दिनांक :– 23.08.2018

अनवान

कल्याण पिता सांवता माली नि. बांकरा तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. शिवकुमार पिता बालू लखारा नि. बांकरा तह. जहाजपुर
2. महादेव पिता भूरा माली नि. बांकरा तह. जहाजपुर
3. शंकर पिता भूरा माली नि. बांकरा तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अखलाक खान, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक २० .06.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांकरा प0 ह0 बांकरा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 617 / 5 कुल किता 01 रकबा 05–00 बीघा कृषि भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मुझ वादी ने उक्त भूमि में से 1–00 बीघा भूमि महादेव जी के स्थान के लिये, एंव 0–10 बीघा भूमि सगस जी के स्थान के लिये स्वैच्छिक रूप से दे रखी है। एंव शेष 3–10 बीघा भूमि पर वादी अबाध्य रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था। प्रतिवादी सं. 1 व 3 आपराधिक प्रवृति के खुंखार व्यक्ति है जिनका वादी की कृषि भूमि में वर्णित भूमि से कोई लेना देना नही हैं प्रतिवादी सं. 1 से 3 धन सम्पन्न राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। जबकि वादी गरीब काश्तकार है जो कि बाहर गांव मजदूरी करने व कमा खाने चले जाते हैं जिससे वादी की खातेदारी भूमि के प्रतिवादी सं. 1 से 3 पडौसी काश्तकार है। वादी की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 3 हडपने व कब्जा करने की नियत रखते हैं। प्रतिवादीगण ने पूर्व में माह दिसम्बर 2017 में वादी की खातेदारी भूमि पैरा सं. 1 में वर्णित की सीमा चिन्हों के संबध में कम ज्यादा बताकर विवाद किया था, एवं वादी की भूमि को हडपने व कब्जा करने की धमकी दी तब वादी ने सन् 2018 में ग्रीष्मकाल में अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने एवं विवाद के स्थाई समाधान करने की कहकर प्रतिवादीगण को समझाया था। किन्तु वादी जनवरी 2018 से कमा खाने हेतु मजदूरी करने बाह गांव चला अगया, व मई 2018 में लोटा तब क प्रतिवादीगण ने वा की खतोदरी भूमि पर वादी की अनुपस्थिति में अवैध कब्जा बना लिया। व वादी द्वारा प्रतिवादीगणों से कब्जा हटाने बाबत कहने पर इन्होने वादी से इसकी भूमि की पत्थरगढी करा लेने की बात कही तब वादी ने अपनी भूमि की स्थाई सीमा की जानकारी हेतु न्यायालय श्रीमान आप के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 262 / 18 पेश

सहायक कलेक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

कर दिनांक 23.05.2018 को पत्थरगढी आदेश प्राप्त किया व उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 10.07.2018 को राजस्व अधिकारी गिरदावर एंव पटवारी मौके पर आये व वादी की भूमि की पत्थरगढी की एवं स्थाई सीमा चिन्हो के पत्थर गाढे। जिसमें की वादी की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 शिवकुमार पिता बालू लखारा का 0–10 बीघा भूमि पर एवं प्रतिवादी सं. 2 महादेव पिता भूरा माली व प्रतिवादी सं. 3 शंकर पिता भूरा माली का 3–00 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा होना जाहीर हुआ। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 से इसका अवैध कब्जा छोडकर वादी को भूमि का कब्जा सिपुर्द करने की कहा तो इसने कब्जा नहीं हटाया व जबरन शक्ति के बल पर वादी की खातेदारी कृषि भूमि को दिनांक 25.07.2018 को जबरन बुवाई कर दी व प्रतिवादीगण ने इनका अवैध कब्जा बनाये रखा व वादी को कब्जा सिपुर्द नही किया। वादी अपनी खातेदारी 5–00 बीघा में से स्वैच्छिक रूप से 1.00 बीघा भूमि महादेव जी के स्थान के लिये, एवं 0–10 बीघा भूमि सगस जी के स्थान के लिये दी है। जहां मौके पर महादेव जी की चारदीवारी हो रखी है, व सगसजी के स्थान का भी पक्का निर्माण हो रखा है जिससे वादी उक्त स्थान का कब्जा नही हटवाना चाहता है। और वादी मात्र प्रतिवादी सं. 1 शिवकुमार का 0–10 बीघा भूमि पर से एवं प्रतिवादी सं. 2 महादेव व प्रतिवादी सं. 3 शंकर का 3–00 बीघा भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाकर एवं इन्हें वादी की खातेदारी भूमि से बेदखल करा स्वंय कब्जा प्राप्त करना चाहता हैं एवं भविष्य में अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अपने शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने बावत प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द कराना चाहता है। दिनांक 10.07.2018 को वादी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 का अवैध कब्जा होना जाहिर होने से एवं वादी की खातेदारी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा वापस दिनांक 25.07.2018 को जबरन बुवाई कर के अवैध कब्जा बनाये रखे जाने, व वादी को कब्जा सिपुर्द करने से मना करने से दिनांक 25.07.2018 से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी की खातेदारी भूमि में से 3–10 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 का जबरन बनाया कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल करा भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के तथा वादी की खातेदारी भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने बाबत प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्वंय व इनके नौकर ऐजेन्ट रिश्तेदारों सहित स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी कि गई। प्रतिवादी गण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में खाता सं. 235 नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 10.07.2018 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 2 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी कल्याण माली पी. डब्ल्यु 1, रामकुंवार माली पी. डब्ल्यु 2, भैरूलाल माली पी. डब्ल्यु 3, घीसुलाल माली पी. डब्ल्यु 4, भागचन्द माली पी. डब्ल्यु 5, के ब्यान करवाये गये, जिसे शा० फा० किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया कि वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी सं 1 से 3 का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी. 1 से 3 को बेदखल करा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उक्त वर्णित भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादी को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैंने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–72 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 617/5 कुल किता 01 रकबा 05–00 बीघा कृषि भुमि वादी के नाम दर्ज है। आ0 स0 617/5 के आंशिक भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 ने 0–10 बीघा भूमि पर एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने 3–00 बीघा पर मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 2 से होती है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादी अपनी भूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बांकरा प0 ह0 बांकरा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 617/5 कुल किता 01 रकबा 05–00 बीघा में से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 0–10 बीघा भूमि पर एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा 3–00 बीघा भू भाग पर किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक२० .06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

कल्याण पिता सांवता माली नि. बांकरा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. शिवकुमार पिता बालू लखारा नि. बांकरा तह. जहाजपुर
2. महादेव पिता भूरा माली नि. बांकरा तह. जहाजपुर
3. शंकर पिता भूरा माली नि. बांकरा तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण...........

दावा बाबत – **183, 188 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 534/2018

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बांकरा प0 ह0 बांकरा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 617/5 कुल किता 01 रकबा 05–00 बीघा में से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 0–10 बीघा भूमि पर एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा 3–00 बीघा भू भाग पर किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २० .06.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner